रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-27062020-220211
CG-DL-E-27062020-220211

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)
PART II—Section 3—Sub-section (i)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 316] नई दिल्ली, शनिवार, जून 27, 2020/आषाढ़ 6 , 1942
No. 316] NEW DELHI, SATURDAY, JUNE 27, 2020/ASHADHA 6, 1942

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2020

सं. 55/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 416(अ).—सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 235 (अ), तारीख 3 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 35/2020–केंद्रीय कर, तारीख 3 अप्रैल, 2020 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा के खंड (i) में,—

(i) "जून, 2020 के 29वें" अंकों और शब्दों के स्थान पर "अगस्त, 2020 के 30वें" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "जून, 2020 के 30वें" अंकों और शब्दों के स्थान पर "अगस्त, 2020 के 31वें" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/08/2020–जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) सं. 35/2020– केंद्रीय कर, तारीख 3 अप्रैल, 2020 में संख्यांक सा.का.नि. 235 (अ), तारीख 3 अप्रैल, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था और भारत के राजपत्र, असाधारण में संख्यांक सा.का.नि. 362 (अ) तारीख 9 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित अधिसूचना संख्यांक 47/2020-केंद्रीय कर, तारीख 9 जून, 2020 द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था ।

MINISTRY OF FINANCE

(Department of Revenue)

(CENTRAL BOARD OF INDIRECT TAXES AND CUSTOMS)

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2020

No. 55/2020–Central Tax

G.S.R. 416(E).—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following further amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No. 35/2020-Central Tax, dated the 3rd April, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 235(E), dated the 3rd April, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph, in clause (i),--

(i) for the words, figures and letters "29th day of June, 2020", the words, figures and letters "30th day of August, 2020" shall be substituted;

(ii) for the words, figures and letters "30th day of June, 2020", the words, figures and letters "31st day of August, 2020" shall be substituted.

[F. No. CBEC-20/06/08/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal notification No. 35/2020-Central Tax, dated the 3rd April, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) *vide* number G.S.R. 235(E), dated the 3rd April, 2020 and was last amended by notification No. 47/2020–Central Tax, dated the 9th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary *vide* number G.S.R. 362(E), dated the 9th June, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2020

सं. 56/2020-केंद्रीय कर

सा.का.नि. 417(अ).—सरकार, एकीकृत माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 13) की धारा 20 और संघ राज्यक्षेत्र माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 21 के साथ पठित केंद्रीय माल और सेवा कर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 168क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, परिषद की सिफारिशों पर, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) में संख्यांक सा.का.नि. 361(अ), तारीख 9 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित भारत सरकार के वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 46/2020–केंद्रीय कर, तारीख 9 जून, 2020 में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात्:-

उक्त अधिसूचना के पहले पैरा में,—

(i) "29 जून, 2020" अंकों और शब्दों के स्थान पर "30 अगस्त, 2020" अंक और शब्द रखे जाएंगे;

(ii) "30 जून, 2020" अंकों और शब्दों के स्थान पर "31 अगस्त, 2020" अंक और शब्द रखे जाएंगे ।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/08/2020–जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक

टिप्पण : मूल अधिसूचना भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग 2, खंड 3, उपखंड (i) सं. 46/2020– केंद्रीय कर, तारीख 9 जून, 2020 में संख्यांक सा.का.नि. 361 (अ), तारीख 9 जून, 2020 द्वारा प्रकाशित किया गया था ।

NOTIFICATION

New Delhi, the 27th June, 2020

No. 56/2020–Central Tax

G.S.R. 417(E).—In exercise of the powers conferred by section 168A of the Central Goods and Services Tax Act, 2017 (12 of 2017), read with section 20 of the Integrated Goods and Services Tax Act, 2017 (13 of 2017), and section 21 of the Union Territory Goods and Services Tax Act, 2017 (14 of 2017), the Government, on the recommendations of the Council, hereby makes the following amendment in the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue), No.46/2020-Central Tax, dated the 9th June, 2020, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i), vide number G.S.R. 361(E), dated the 9th June, 2020, namely:-

In the said notification, in the first paragraph,--

(i) for the words, figures and letters "29th day of June, 2020", the words, figures and letters "30th day of August, 2020" shall be substituted;

(ii) for the words, figures and letters "30th day of June, 2020", the words, figures and letters "31st day of August, 2020" shall be substituted.

[F. No. CBEC-20/06/08/2020-GST]

PRAMOD KUMAR, Director

Note : The principal notification No. 46/2020-Central Tax, dated the 9th June, 2020 was published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 361(E), dated the 9th June, 2020.

अधिसूचना

नई दिल्ली, 27 जून, 2020

सा.का.नि. 418(अ).—केंद्रीय सरकार, कराधान और अन्य विधि (कतिपय उपबंधों में छूट देना) अध्यादेश, 2020 (2020 का 2) की धारा 6 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह विनिर्दिष्ट करती है कि—

(i) 29 सितंबर, 2020 उस अवधि की अंतिम तारीख होगी, जिसके दौरान केंद्रीय उत्पाद-शुल्क अधिनियम, 1944 (1944 का 1), सीमा शुल्क अधिनियम,1962 (1962 का 52), (धारा 30, 30क, 41, 41क, 46 और 47 के सिवाय), सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 (1975 का 51) या वित्त अधिनियम, 1994 (1994 का 32) के अध्याय v में विनिर्दिष्ट या उसके अधीन विहित या अधिसूचित समय-सीमा ऐसी कार्रवाई के, जो उक्त धारा के खंड (क) या (ख) के अधीन विनिर्दिष्ट है, पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए है; और

(ii) 30 सितंबर, 2020 ऐसी अंतिम तारीख होगी, जिसके लिए ऐसी कार्रवाई को पूरा करने या उसके अनुपालन के लिए समय-सीमा को विस्तारित किया जाएगा ।

[फा. सं. सीबीईसी-20/06/08/2020–जीएसटी]

प्रमोद कुमार, निदेशक